

बिहार सरकार,  
कृषि विभाग।

पत्र संख्या— पी०पी०एम०—16 / 2016 4123 / क०, पटना, दिनांक: 22/9/2016

कार्यालय आदेश

जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के लिए वर्ष 2016–17 में 12977.00 लाख रुपये (एक सौ उनतीस करोड़ सतहतर लाख रुपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति से संबंधित स्वीकृत्यादेश संख्या— 3223, 3224 एवं 3225 दिनांक: 22.07.2016 को निर्गत किया गया है। वित्त विभाग के पत्र संख्या— को०प्र०/विविध—13 / 2012—6190 वि० दिनांक: 04.08.2016 के आलोक में उक्त स्वीकृत्यादेश की कंडिका—5 के पारा 03 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है,

| क्र० सं० | स्वीकृत्यादेश संख्या / तिथि | स्वीकृत्यादेश की कंडिका—5 के पारा 03 में उल्लेखित  | संशोधित कंडिका   |
|----------|-----------------------------|--|--|
| 1        | 3223 / 22.07.2016           | हरी खाद के रूप में ढैंचा तथा मूँग की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। गरमा/पूर्व खरीफ 2016 के लिए इस कार्यक्रम में ढैंचा बीज 90 प्रतिशत तथा मूँग का बीज 80 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराने का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। | हरी खाद के रूप में ढैंचा तथा मूँग की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। गरमा/पूर्व खरीफ 2016 के लिए इस कार्यक्रम में ढैंचा बीज 90 प्रतिशत तथा मूँग का बीज 80 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराने का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। |
|          | 3224 / 22.07.2016           | प्रस्तावित मद की राशि की निकासी कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा बी.टी.सी.—46 फार्म— 25 सामान्य विपत्र पर राशि की निकासी कर बिहार राज्य बीज निगम को उनके पी.एल. खाता संख्या— 271 में स्थानान्तरित की जायेगी।                  | प्रस्तावित मद की राशि की निकासी कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा बी.टी.सी. फार्म— 25 सामान्य विपत्र पर राशि की निकासी कर बिहार राज्य बीज निगम, पटना को उपलब्ध करायी जायेगी।   |
|          | 3225 / 22.07.2016           |  |  |

2. शेष कंडिकाएँ एवं शर्तें यथावत रहेंगी।
3. प्रस्ताव में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

(13) 20/9/16  
(रामजी सिंह)

सरकार के विशेष सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक — पी०पी०एम०—16 / 2016 4123 / क०, पटना, दिनांक 22/9/2016

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेश्वर, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(13) 20/9/16

सरकार के विशेष सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक — पी०पी०एम०—16 / 2016 4123 / क०, पटना, दिनांक 22/9/2016

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(13) 20/9/16

सरकार के विशेष सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

Parbato.

ज्ञापांक – पी०पी०एम०–१६/२०१६ ५१२३ /कृ०, पटना, दिनांक २२/९/ २०१६  
प्रतिलिपि:- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु  
प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी०पी०एम०–१६/२०१६ ५१२३ /कृ०, पटना, दिनांक २२/९/ २०१६  
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा उप कृषि निदेशक(सूचना) को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Fri patni

सरकार के विशेष सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।